राम नाथ महतो
बनाम
बिहार राज्य
10 अप्रैल 1996
(न्यायमूर्तिगण एम.एम.पुंछी एवं सुजाता बी. मनोहर)

भारतीय दण्ड संहिता-1860

धारा 396-लूट कारित करने वाला अभियुक्त-पहचान परीक्षण-अभियुक्त की पहचान करने वाला साक्षी-परीक्षण-साक्षी ने परीक्षण न्यायालय के समक्ष अभियुक्त को पहचानने से मना किया-मजिस्ट्रेट जिसने पहचान परीक्षण का संचालन किया था, ने न्यायालय के समक्ष बयान दिया कि साक्षी ने पहचान परीक्षण के दौरान अभियुक्त की सही पहचान की थी-परीक्षण न्यायालय ने साक्षी की भाव भंगिमा पर टिप्पणी अंकित की तथा मजिस्ट्रेट के बयान पर विश्वास करते हुए अभियुक्त को दोषसिद्ध किया-दोषसिद्धि सही पायी गयी।

साक्ष्य अधिनियम,1872:

धारा 9-पहचान परीक्षण-साक्षी जिसने पहचान परीक्षण मे अभियुक्त की पहचान की थी,न्यायालय में उसे पहचानने से इंकार किया-मजिस्ट्रेट जिसने पहचान परीक्षण संचालित किया था, ने न्यायालय के समक्ष कथन किया कि साक्षी अभियुक्त की पहचान परीक्षण के दौरान सही पहचान की थी-अवधारित हुआ कि-न्यायालय साक्ष्य पर विश्वास करने मे समर्थ थी क्योंकि एेसा साक्ष्य धारा 9 के अन्तर्गत सुसंगत है।

संदर्भित-बुधसेन एवं अन्य व उत्तर प्रदेश राज्य ए आ ई आर (1970) सुप्रीम कोर्ट 1321

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकारः आपराधिक अपील संख्या 225/1996

पटना उच्च न्यायालय द्वारा आ०अ०सं० 25/1985 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांकित 17-02-87 से।

अपीलार्थी की आेर से- एन.आर.चौधरी।

प्रत्युत्तरदाता की आेर से- प्रवीन स्वरूप एवं प्रमोद स्वरूप।

न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गयाः

प्रारम्भ मे सत्र न्यायालय के द्वारा अपीलार्थी की अन्तर्गत धारा 396 भा०दं०सं० दोषसिद्धि पर उसे आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी थी, परन्तु उच्च न्यायालय मे अपील करने पर सजा घटाकर दस वर्ष की अवधि का कठोर कारावास कर दिया गया।

घटना चलती ट्रेन मे रात्रि के समय मे डकैती की थी। अपीलार्थी आरोपित डकैतो मे से एक था। डकैती के दौरान एक व्यक्ति की मृत्यु कारित की गयी थी तथा डकैतों ने अन्य व्यक्तियों को चोटें पहुचायी आैर उनकी सम्पत्ति लूट ली थी। पी० डब्लू-6 दिवाकर यादव, उनमे से एक था जो लूटे गये थे। पी० डब्लू-3, ट्रेन टिकट निरीक्षक, भी ट्रेन मे सवार लोगों मे से एक था जो घायल हो गया था। यह घटना ट्रेन के कटिहार स्टेशन से छूटने के तुरन्त बाद कलकत्ता की आेर आगे की यात्रा शुरू होने पर हुयी। यह घटना बिहार राज्य मे घटित हुयी। पी० डब्लू-3 द्वारा मामले की सूचना पुलिस को दी गयी। अपीलकर्ता को बाद मे दोषी व्यक्तियों मे से एक के रूप मे गिरफ्तार कर लिया गया। पी० डब्लू-7,न्यायिक मजिस्ट्रेट,भरत जी मिश्रा द्वारा आरोपी की पहचान परेड करायी गयी। वहां पी. डब्लू-6 अपीलकर्ता की डकैतों मे से एक, अन्य के अतिरिक्त जिनका वर्तमान मे हमारा कोई सम्बन्ध नही है, के रूप मे पहचान की गयी तथा दावा किया गया कि वह वही व्यक्ति था जिसके पास एक रिवाल्वर थी जिसे घटना के दौरान उसने इस्तेमाल किया था।

परीक्षण में पी. डब्लू-7 ने यह बताते हुए अभियोजन पक्ष का पूर्ण समर्थन किया कि पी. डब्लू-6 ने उससे पहले अपीलकर्ता की पहचान रिवॉल्वर ले जाने वाले डकैत के रूप में की थी। हालाँकि, पी. डब्लू-6 ने मुकदमे में अपीलकर्ता की पहचान नहीं करने का फैसला किया और कहा कि वह उस अभियुक्त को नहीं पहचान सका जिसे उसने पहचान परीक्षण में पहचाना था। जब उसका सुष्पष्ट ध्यान अपीलकर्ता की ओर गया तो गवाह ने उसे नहीं पहचाना। उस समय, विचारण जज ने उसके भाव-भंगिमा के बारे में अपनी टिप्पणी दर्ज की कि गवाह शायद आरोपी से डरता था क्योंकि गवाह अभियुक्त रामनाथ के घूरने पर कांप रहा था। इस प्रकार यह स्पष्ट हो

गया कि गवाह मुकदमे में अपीलकर्ता की पहचान को मान्यता देने से डर रहा था। अभियोजन पक्ष के मामले में इस तरह के मोड़ के बावजूद, विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने पी डब्लू 6 के साक्ष्य के बारे में मजिस्ट्रेट, पी डब्लू 7 के बयान पर भरोसा किया क्योंकि पी० डब्लू 6 ने पहचान परेड में अपीलकर्ता की पहचान की थी और अभियोजन पक्ष के मामले को संदेह से परे साबित कर दिया था। इसमें गवाह पी डब्लू 6 के भाव-भंगिमा के बारे में विचारण न्यायालय की टिप्पणी भी जोड़ी गई थी।

जैसा कि नीचे की अदालतों के समक्ष किया गया था, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने बुद्धसेन और अन्य बनाम उ०प्र० राज्य ए आ्ई आर 1970 सु०कोर्ट 1321 के मामले में इस न्यायालय के एक निर्णय पर भरोसा किया है। यह तर्क देने के लिए कि पहचान परेड के साक्ष्य अपने आप में ठोस साक्ष्य नहीं बनते हैं जो अनिवार्य रूप से धारा 162 दं०प्र०सं० के प्रावधानों द्वारा शासित होते हैं। उस मामले में, इस न्यायालय ने यह विचार किया कि स्थापित तथ्यों पर, पहचान परेड को सुरक्षित और भरोसेमंद साक्ष्य प्रदान करने वाला नहीं माना जा सकता है, जिसके आधार पर दोषसिद्धि कायम की जा सकती है। उस मामले को नीचे की अदालतों द्वारा प्रतिष्ठित किया गया था और हमारे दृष्टिकोण से, मजिस्ट्रेट, पी.डब्लू -7 के ठोस सबूतों को ध्यान में रखते हुए जबकि वह, पी डब्लू 6 के भाव-भंगिमा के संबंध में विचारण न्यायालय की टिप्पणियों द्वारा समर्थित है, ठोस साक्ष्य है। इस प्रस्ताव पर कोई विवाद नहीं हो सकता है कि परीक्षण में दिया गया मौखिक साक्ष्य अपने आप में ठोस साक्ष्य हो सकता है जबकि पहचान परेड का साक्ष्य वास्तव में ए्ेसा नहीं हो सकता है। उस स्थिति में, न्यायालय निश्चित रूप से ऐसे साक्ष्य पर भरोसा करने का हकदार होगा जो साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के तहत सुसंगत होंगे। यहाँ, जैसा कि पहले कहा गया है, अभियोजन पक्ष के सबूतों का समर्थन करने के लिए मजिस्ट्रेट, पी. डब्लू-7 के साक्ष्य से पता चलता है कि उन्होंने पहचान परेड आयोजित की थी और उनके सामने पी. डब्लू-6 ने राम नाथ को डकैतों में से एक के रूप में सही ढंग से पहचाना था। और पी. डब्लू- 7 की बात पर नीचे की अदालतों ने उक्त सन्दर्भ में विश्वास किया है।

उपरोक्त कारणों से, हम अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को बनाए रखने में उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से भिन्न नहीं हैं। इसलिए अपील विफल हो जाती है और इसे निरस्त किया जाता है। अपीलार्थी जमानत पर है। वह अपने जमानत बन्ध पत्र के लिए आत्मसमर्पण करेगा।

अपील निरस्त।